

विद्युत लाईन के पास मकान बनवाने के लिए कुछ आवश्यक हिदायतें

विद्युत लाईन के पास में मकान बनवाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक एवं उचित नहीं है। कानूनी रूप से व्यवस्था की गई है कि भिन्न-भिन्न वोल्टेज की लाईनों के पास में मकानों से चालकों की क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

क्र. स.	लाईनों की वोल्टेज	चालक से मकान की कम से कम क्षैतिज दूरी	चालक से मकान की कम से कम उर्ध्वाधर दूरी
1	निम्न विभव (250 वोल्ट्स तक) एवं मध्यम विभव (650 वोल्ट्स तक) लाईन	1.2 मीटर	2.5 मीटर
2	उच्च विभव (11000 वोल्ट्स तक)	1.2 मीटर	3.7 मीटर
3	उच्च विभव (11000 वोल्ट्स से अधिक एवं 33000 वोल्ट्स तक)	2.0 मीटर	3.7 मीटर
4	एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाईन (33000 वोल्ट्स से अधिक)	2.0 मीटर + 33000 वोल्ट्स के ऊपर प्रत्येक 33000 वोल्ट्स या उसके भाग के लिए 0.3 मी.	3.7 मीटर + 33000 वोल्ट्स के ऊपर प्रत्येक 33000 वोल्ट्स या उसके भाग के लिए 0.3 मी.

यदि लाईन के नीचे या बगल में मकान बनवाने से उक्त दूरियों के कम होने की सम्भावना हो, तो मकान बनवाने के पूर्व इसकी सूचना प्रस्तावित ड्राइंग सहित विद्युत सुरक्षा विभाग तथा विद्युत सप्लायर को देना आवश्यक है। विद्युत सुरक्षा विभाग से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही ऐसा मकान बनवाना चाहिए।

ऐसा न करना कानूनी अपराध है तथा इसके लिए मकान बनवाने वाले एवं मकान बनाने वाले ठेकेदार को दण्डित किया जा सकता है।